न्यायालयः— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग— 01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, चन्देरी जिला—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103001082009</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—229 / 09</u> संस्थापित दिनांक—07.07.09

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।
अभियोजन
विरुद्ध
01—भगवान सिंह पुत्र बलकार सिंह जाति सरदार उम्र 30 साल, निवासी रावतपुरा, ललितपुर ताल ग्राम नावनी थाना चंदेरी।
आरोपी
राज्य द्वारा ः– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा :— श्री गौरव जैन अधिवक्ता।

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 25.03.2017 को घोषित)</u>

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 304ए के विचारण हेतू प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफतारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी निपन ने दिनांक 23.06.09 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह अपने गांव से अपना इलाज कराने चंदेरी आ रहा था। उसके साथ उसकी मां चिल्लूबाई, उसकी पत्नी सरजूबाई तथा गांव के गजेंद्रसिंह तथा राजोबाई भी आ रहे थे कि जैसे ही वह पाडरी सिंहपुर रोड पर आया तो सभी लोग बस के इंतजार में रोड किनारे बैठे थे कि बामौरकला तरफ से द्रक नंबर एमपी07 जे 2244 का ड्रायवर द्रक को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी मां चिल्लूबाई को टक्कर मार दी जिससे उसकी मां की मौके पर ही मौत हो गई। द्रक ड्राइवर द्रक को छोड़कर भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 203/09 के अंतर्गत भादवि की धारा 304ए के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 304ए के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। आरोपी ने कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपी ने दिनांक 23.06.09 को 13—15 बजे चंदेरी पिछोर रोड पर पाडरी गांव के सामने वाहन / द्रक क. एमपी 07 जे 2244 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर चिल्लूबाई को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की, जो मानववध की कोटि में नहीं आती है ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष समर्थन में अ.सा. 01 डॉ एस पी सिद्धार्थ, अ.सा. 02 निपन सिंह आदिवासी, अ.सा. 03 सरजूबाई, अ.सा. 04 गजेंद्र सिंह, अ.सा. 05 रामदास की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 02 निपन सिंह ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना पाडरी गांव की है तथा वह घटना दिनांक को इलाज के लिए चंदेरी आ रहा था और साथ में गांव के गजेंद्र सिंह और राजोबाई भी थे। अ. सा. 02 के अनुसार उसके साथ उसकी मां चिल्लूबाई भी थीं तथा पिछोर तरफ से चंदेरी के लिए एक द्रक टेढा—मेढा चलता हुआ आया जिसे आरोपी भगवान सिंह चला रहा था। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त द्रक उसकी मां के उपर चढ गया। अ.सा. 02 के अनुसार आरोपी ने टक्कर मारी थी और जब वह भाग रहा था तब उसने उसे देख लिया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसने पुलिस रिपोर्ट प्रपी 02 एवं कथन प्रडी 01 में पुलिस को यह बता दिया था कि जब आरोपी भाग रहा था तब उसने उसे देख लिया था। अ.सा. 02 के अनुसार उसने आरोपी की शक्ल देख ली थी और जैसे ही वह गाडी से उतरकर भागा तब उसने उसे देख लिया। अ.सा. 03 सरजूबाई जो कि अ.सा. 02 की पत्नी है ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उक्त घटनास्थल पर बडी गाडी उसकी सास चिल्लूबाई पर चढ गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार वह अपने पित को इलाज कराने के लिए चंदेरी ला रही थी तथा उसके पित ने द्रक को रोका था। उक्त साक्षी के अनुसार उसे उसके पित ने बताया था कि भगवान सिंह द्रक को चला रहा था।

08— अ.सा. 04 गजेंद्र सिंह पक्षद्रोही हो गया है तथा उक्त साक्षी ने घटना की कोई जानकारी न होना व्यक्त किया है। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 04 भी देने से इंकार किया है। अ.सा. 01 डॉ एस पी सिद्धार्थ जो कि मेडिकल विशेषज्ञ हैं ने अपने कथन में बताया है कि उनके द्वारा दिनांक 23.06.09 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदेरी में चिल्लूबाई का शव परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्रपी 01 है। उक्त रिपोर्टानुसार चिल्लूबाई की मृत्यु सदमे के कारण हुई थी तथा मृत्यु की प्रकृति दुघर्टना थी। अ.सा. 05 जो कि मामले का विवेचक है ने अपने कथनों में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में नक्शा पंचायतनामा प्रपी 07 तैयार किया गया था तथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे। उक्त साक्षी ने द्रक प्रपी 08 के अनुसार जप्त करना बताया है।

09— प्रकरण में अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले के फरियादी अ.सा. 02 ने स्पष्ट रूप से अपने कथनों में बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी भगवान सिंह द्वारा प्रकरण के जप्तशुदा द्रक को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित किया गया तथा चिल्लूबाई को टक्कर मारी गई जिससे चिल्लूबाई की मृत्यु कारित हुई। अ.सा. 02 ने अपने कथनों में यह कथन किया है कि उसने

आरोपी को घटना दिनांक को देखा था। अ.सा. 02 की साक्ष्य का अनुसमर्थन अ.सा. 03 की साक्ष्य से हो रहा है। अ.सा. 01 जो कि मेडिकल विशेषज्ञ है की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि घटना दिनांक को चिल्लूबाई की मृत्यु दुर्घटना से हुई थी। इस प्रकार अ.सा. 02 की साक्ष्य की संपुष्टि अ.सा. 01 की साक्ष्य से हो रही है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है जिससे अभियोजन की कहानी संदेहास्पद प्रतीत होती हो। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य अखंडनीय रही है। आरोपी की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे कि यह प्रमाणित हो सके कि अभियोजन द्वारा झूठा मामला प्रस्तुत किया गया है।

- 10— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त घटना दिनां को आरोपी द्वारा प्रकरण के जप्तशुदा वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित कर मृतक चिल्लूबाई को टक्कर मारी गई। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 304ए के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।
- 11— आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। प्रस्तुत प्रकरण शमन विचारणीय है। अतः आरोपी को दंड के प्रश्न पर सुनने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक दंड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उसके लिए शिक्षाप्रद हो और साथ ही यह संदेश दे कि यदि किसी के द्वारा लोकमार्ग पर यातायात के नियमों के विरुद्ध वाहन का परिचालन किया जाता है तो इसके गंभीर परिणाम उसको भुगतने पड़ सकते हैं। अतः आरोपी को भादिव की धारा 304ए के आरोप में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिकृम पर आरोपी 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।
- 12— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 13— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उक्त सुपुर्दनामा निरस्त समझा जावे।
- 14— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 15— आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) व्य0 न्याया0 वर्ग—01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, चंदेरी (जफर इकबाल) व्य0 न्याया0 वर्ग–01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, चंदेरी